राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2044 / 2023

रवि शेखर चौधरी –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, पाली।
4. हरेन्द्र सिंह, तहसीलदार, तहसील भीलवाडा, जिला भीलवाडा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री धीरज पालिया, अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में कार्य व्यवस्थार्थ तहसील बाली, पाली में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 31.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्य व्यवस्थार्थ सिवाणा, जिला बाडमेर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 20.02.2022 के द्वारा अपीलार्थी को उप तहसीलदार, झंवर लूणी, जिला जोधपुर से तहसीलदार, सोजत, पाली स्थानान्तरित किया गया था। आदेश दिनांक 28.07.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण देसुरी, जिला पाली किया गया। इसके पश्चात आदेश दिनांक 17.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण देसूरी, जिला पाली से वर्तमान पदस्थापित स्थान बाली, जिला पाली में स्थानान्तरित किया गया था। अल्प समय में ही आलोच्य आदेश से अपीलार्थी का पुनः स्थानान्तरण किया गया है, जो 11 माह के पश्चात ही किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या–4 को लाभ देने की गरज से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी गर्भवती है, जिन्हें 8 माह का गर्भ है। अपीलार्थी की पत्नी की देखभाल के लिये अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने से अपीलार्थी भारी असुविधा का सामना करना पडेगा।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
4. आलोच्य आदेश दिनांक 31.07.2023 के अवलोकन से प्रकट होता है कि विधानसभा आम चुनाव, 2023 को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों की पालना में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। हमने भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देश दिनांक 02.06.2023 का अवलोकन किया। भारतीय निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि ऐसे व्यक्ति जो चुनाव कार्य से सीधे जुडे हुए हैं, उन्हें गृह जिले से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाए एवं जो व्यक्ति एक ही जिले में तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित है, उन्हें स्थानान्तरित किया जाए। वर्तमान जिले में अपीलार्थी को पदस्थापित हुए तीन वर्ष से अधिक समय हो चुका है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों की पालना में किया जाना प्रकट होता है। जहां तक अपीलार्थी की पत्नी का प्रश्न है, तो हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी की व्यक्तिगत समस्याओं के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। वर्तमान आलोच्य आदेश प्रशासनिक दृष्टि से विधानसभा आम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं।
5. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)